न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 03/2023

1 रमेश सिंह पुत्र भोल सिंह उर्फ भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 सरबती स्त्री भोल सिंह उर्फ भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 विनोद सिंह पुत्र उच्च बाई स्त्री पन्जी सिंह जाति राजपूत निवासी साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।?
2 सन्जू पुत्री उच्च बाई स्त्री पन्जी सिंह जाति राजपूत निवासी साथलपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।
3 देवी सिंह पुत्र जमन सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
4 मृतक पेपसिंह पुत्र जयनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं। (दौराने वाद मृत्यु)
4/1 बजरंग सिंह
4/2 जयवीर सिंह
4/3 कृपाल सिंह
4/4 महावीर सिंह पुत्रगण स्व. पेपसिंह
4/5 नीता पुत्री स्व पेपसिंह
5 गुलाब सिंह पुत्र स्व. भंवरी बाई जाति राजपूत निवासी साथलपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।
6 अशोक सिंह पुत्र स्व. भंवरी बाई जाति राजपूत निवासी साथलपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।
7 मिन्टू पुत्री स्व. भंवरी बाई जाति राजपूत निवासी साथलपुर तहसील बानसुर जिला अलवर।
8 मन्जु स्त्री
9 शिवराज पुत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

10 प्रिया पुत्री
11 रेणु पुत्री स्व मदन सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 मुंशी सिंह
13 विजय सिंह पुत्रगण जमन सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 विधा बाई पुत्र जमन सिंह स्त्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी हाथीराम का सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
15 सुमन बाई पुत्र जमन सिंह स्त्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
16 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक
24.05.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी
रमेश सिंह बनाम विनोद सिंह मु.नं. 23/2019 जीसीएमएस
2019/00161 दावा बाबत खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 1/7/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 58 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300/165 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359/56 रकबा 2.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361/211 रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365/28 रकबा 6.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367/162 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374/170 रकबा 3.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 375/34 रकबा 1.47 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम धुलवा तहत तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में अपीलान्टस का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा था। अपीलान्टस ने अपने हक हिस्सा की जमीन के बंटवारा बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री कर दिनांक 24.05.2022 को अंतिम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार बुहाना को कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड व कब्जा काश्त के मुताबिक रास्तो सहित विभाजन प्रस्ताव बनाकर विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत आदेशित किया था। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बुहाना ने मौके पर जाकर नहीं बनाये। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को विभाजन प्रस्ताव बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं था। खसरा नम्बर 58 रकबा 1.74 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 58 की पश्चिमी सीमा के पास से रास्ता कायम किया है रास्ते में 0.05 हैक्टेयर जमीन गई है रास्ते के खसरा नम्बर 557/58 रकबा 0.05 हैक्टेयर डाले है। खसरा नम्बर 58 में से रास्ता खसरा नम्बर 58 की उत्तरी सीमा के पास से अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 359/56 में जाने के लिए कायम करना चाहिए था जबकि खसरा नम्बर 58 की दक्षिण दिशा में तो जोहड़ की जमीन है इसलिए खसरा नम्बर 58 के पश्चिम में रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नहीं है। विभाजन कुरेजात बनाये तब अपीलान्टस को समझाया भी नहीं तथा विभाजन प्रस्ताव दिखाए भी नहीं। इस कारण विचाराधीन निर्णय व डिक्री आंशिक रूप से खारिज होने योग्य है। दिनांक 22.12.2022 को अपीलान्ट ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री नकल के साथ

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

विभाजन प्रस्ताव की नकल प्राप्त की तब विचाराधीन निर्णय व डिक्री की अपील बाबत अपीलान्ट को विधिक सलाह दी। इस प्रकार बरोज विधिक सलाह दिनांक 22.12.2022 से अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी न्यायालय अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं माने उस सूरत में अपीलान्ट को दफा 5 परिसीमा अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत की जावें। देरी माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पालना के बाद अपीलान्टस के नाम खसरा नम्बर 559/56, खसरा नम्बर 549/300, खसरा नम्बर 551/365, खसरा नम्बर 553/367, खसरा नम्बर 555/374, खसरा नम्बर 557/58 वाके धुलवा अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज हुऐ है। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकाकर की जाकर खसरा नम्बर 58 के पश्चिम में स्थित रास्ता (खसरा नम्बर 557/58) खसरा नम्बर 58 की उत्तरी सीमा के पास से दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन के नियम 18 से 21 एवं माननीय मण्डल के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार अधिकृत है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव राजेन्द्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव के अंकन से होती है। इन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से विभाजन के नियम 18 से 21 एवं माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 1/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)